प्रति
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

20 जून 2020

विषय: नॉवेल **कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के कहर से भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस काण्ड के पीड़ितों को पहुँची विशेष क्षति के मद्देनज़र दोषी कम्पनियों से अतिरिक्त मुआवज़ा लेने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित सुधार याचिका में ज़रूरी सुधार पर ध्यानाकर्षण एवं आवश्यक निर्देश हेतु निवेदन** |

माननीय मुख्यमंत्री जी,

जैसा कि आप जानते है,भोपाल शहर में कोविड19 बीमारी का कहर गैस पीड़ितों पर सबसे ज्यादा बरपा है | इसी आशंका को भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस काण्ड के पीड़ितों के बीच काम कर रहे हम चार संगठनों ने मार्च 21, 2020 की पत्र द्वारा केंद्र और प्रदेश के अधिकारियों को बताया था | (संलग्न)

अप्रैल 6, 2020 को भोपाल शहर में कोविड -19 की वजह से पहली मृत्यु श्रीनरेश खटीक की हुई जो गैस काण्ड के पीड़ित थे और जो कई सालों से फैफड़ो की पुरानी बीमारी (COPD) से जूझ रहे थे | इसके बाद 15 अप्रैल तक शहर में कोविड-19 की वजह से हुई पाँचो मौते गैस पीड़ितों की आबादी में से ही थी और पांचो स्व० खटीक की तरह गैस जनित पुरानी बीमारियों से ग्रस्त थे |

पाँच गैस पीड़ितों के कोविड -19 से मृत्यु और हमारे पत्र के लगभग एक महीने बाद जिला प्रशासन द्वारा नॉवेल कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के पृष्ठभूमी में गैस पीड़ितों की जांच और इलाज पर विशेष ध्यान देने की बात स्वीकारते हुए गैस पीड़ितों के लिए 21 विशेष सहायता केंद्र स्थापित करने की योजना प्रस्तुत कि | यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि आज तक इन सहायता केन्द्रों द्वारा अभी तक घर घर जाकर हाई रिस्क गैस पीड़ितों की पहचान, जाँच और विशेष ध्यान देने का काम शुरू नहीं किया गया है |

जून 13, 2020 तक आधिकारिक तौर पर जारी आँकड़ों के अनुसार कोविड -19 के कारण 69 व्यक्ति काल कवलित हुए हैं | हम संगठनों ने 69 में से 60 मृतकों के परिजनों से बात व उनके चिकित्सीय दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है (संलग्न है) | इस पत्र में हम रिपोर्ट के निम्नलिखित तथ्य आपके विशेष ध्यानाकर्षण हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं |

तथ्य - 1 : भोपाल शहर में कोविड -19 की वजह से हुई मौतों में
से 74% मौते (45) गैस पीड़ितों की है, 5% मौते (3) गैस पीड़ितों के बच्चों की हैं और
21% मौते (12) गैर गैस पीड़ितों की है |

तथ्य - 2 : कोविड -19 की वजह से 60 वर्ष की आयु से कम उम्र में काल कवलित होने वाले व्यक्तियों के 85%, भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस काण्ड के पीड़ित है |

तथ्य- 3: कोविड -19 की वजह से सिर्फ हमीदिया अस्पताल में कवलित होने वालों में से 27 मौते (87%) गैस पीड़ितों की है |

तथ्य- 4 कोविड -19 की वजह से मरनेवाले 75% गैस पीड़ित अस्पताल भर्ती होने के 5 दिन के अंदर खत्म हुए |

तथ्य - 5 : कोविड -19 की वजह से मरनेवाले गैस पीड़ितों में से 81% गैस पीड़ित पुरानी बीमारी (गैस जनित) बीमारी से ग्रस्त थे |

कोविड -19 की वजह से **मरनेवाले 65%** गैस पीड़ित, पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे जबकि
गैर गैस पीड़ित आबादी में पुरानी बीमारियों से मात्र 13 % ही ग्रस्त थे

तथ्य 6 : गैर गैस-पीड़ितों की अपेक्षा भोपाल के गैस पीड़ित फेफड़े, किडनी हृदय और मस्तिष्क की पुरानी बीमारियों से दो से तीन गुना ज़्यादा ग्रस्त थे |

मान्यवर, नॉवेल कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी की पृष्ठभूमि में उपजे उपरोक्त तथ्यों से यही स्थापित होता है आज युनियन कार्बाइड गैस काण्ड के 35 साल बाद गैस पीड़ितों का स्वास्थ्य इसलिए नाजुक है कि उनके स्वास्थ्य को यूनियन कार्बाइड की ज़हरीली गैस की वजह से स्थाई क्षति पहुँची है | हम यह भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप ने सन 2011 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री को दिसम्बर 8 को लिखे पत्र में इसी तथ्य के आधार पर सर्वोच्च न्यायलय में लंबित सुधार याचिका में गैस काण्ड की वजह से सभी 5,21,322 गैस पीड़ितों के स्थाई तौर पर क्षतिग्रस्त होने पर जोर दिया था | (संलग्न)

खेद का विषय है कि आँकड़ों की सत्यता पर आपके व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के बावजूद मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज तक भोपाल गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों और बीमारियों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है | यूनियन कार्बाइड और उसके मालिक डाव केमिकल से अतिरिक्त मुआवज़ा लेने के लिए प्रदेश शासन द्वारा दायर सुधार याचिका में गैस काण्ड की वजह से मौतों की संख्या 5295 बताई गयी है जबकि प्रदेश शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही मार्च 2011 में दायर आपराधिक सुधार याचिका में गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों की संख्या15,342 बताई गयी है | इसी क्रम में प्रदेश शासन द्वारा दायर सुधार याचिका में 90 % पीड़ितों को गैस काण्ड की वजह से अस्थाई तौर पर क्षतिग्रस्त माना गया है | जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, कोविड 19 से मरनेवालों में 80 प्रतिशत का गैस काण्ड से

है, कोविड 19 से मरनेवालों में 80 प्रतिशत का गैस काण्ड से प्रभावित होना यह स्पष्ट करता है कि गैस काण्ड की वजह से पीड़ितों को अस्थाई नहीं बल्कि स्थाई क्षति पहुँची है।

हमें आशा है कि प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गैस पीड़ितों के संगठनों के साथ चर्चा करेगी और सुधार याचिका में वैज्ञानिक और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों और शारीरिक क्षति के आंकड़ों में संशोधन करेगी।

आपसे त्वरित कार्यवाही एवं उत्तर की अपेक्षा में

धन्यवाद

रशीदा बी
भोपाल गैस पीड़ित
स्टेशनरी कर्मचारी संघ
9425688215

नवाब खाँ
भोपालगैस पीड़ित
महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा
9165347881

रचना ढींगरा,
भोपाल ग्रुप फॉर
इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन,
9826167369

नौशीन खान
डाव-कार्बाइड के
खिलाफ बच्चे
9713975671

COVID-19 की वजह से हुई 60 मौतों का आकलन (6 अप्रैल -11 जून)

1. COVID-19 की वजह से मरनेवाले गैस पीड़ित एवं गैर गैस पीड़ित

शहर में हुई COVID-19 की मौतों में: 74% मौते (45) गैस पीड़ितों की है, 5% मौते (3) गैस पीड़ितों के बच्चों की है और 21% मौते (12) गैर गैस पीड़ितों की है

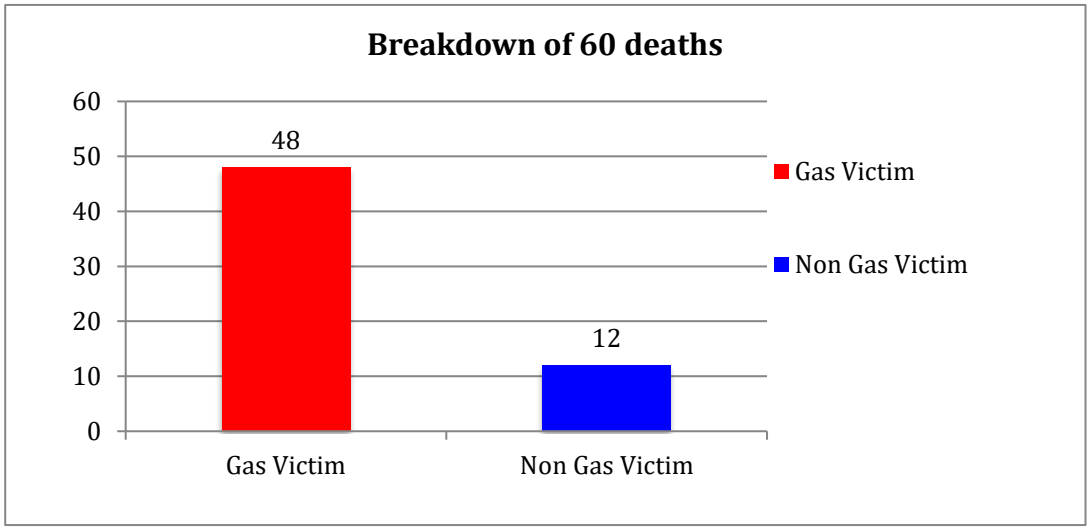

2. कम उम्र के COVID-19 मृतकों में बहुसंख्यक गैस पीड़ित

कोविड -19 की वजह से 60 वर्ष की आयु से कम उम्र में काल कवलित होने वाले व्यक्तियों के 85%, गैस पीड़ित है |

- 40 वर्ष से कम उम्र में मरनेवालों में 82% गैस पीड़ित और 18% गैर गैस पीड़ित है | कम उम्र में मरनेवाले गैस पीड़ितों की संख्या गैर गैस पीड़ितों से 4 गुना ज्यादा है

- 41-59 उम्र में मरनेवालोंमें 87.5% गैस पीड़ित और 12.5% गैर गैस पीड़ित है | कम उम्र में मरनेवाले गैस पीड़ितों की संख्या गैर गैस पीड़ितों से 7 गुना ज्यादा है

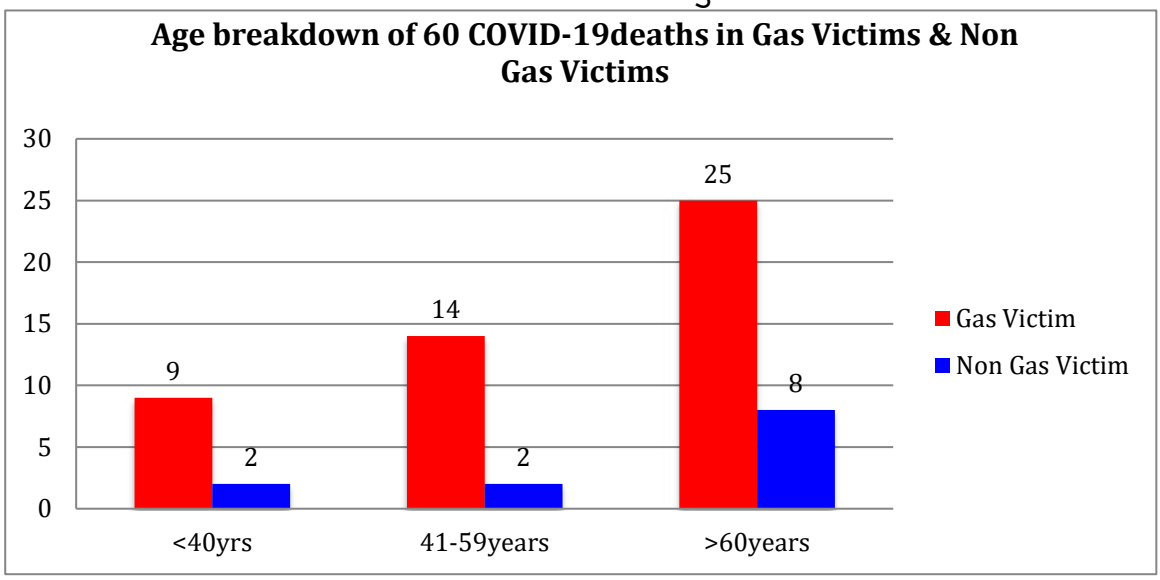

3. अलग अलग अस्पतालों में हुई मौतें

शहर की COVID-19 की (31) मौते (55%) हमीदिया अस्पताल में हुई, (8) मौते 14% AIIMS में हुई (5) मौते 28.3% चिरायु अस्पताल में हुई, 11% चिरायु अस्पताल Mix (पहले हमीदिया या किसी प्राइवेट में भर्ती हुए और फिर चिरायु रिफर किया गया, जहां उनकी मौत हुई) और (1) मौत 1.7% Private में हुई

- हमीदिया अस्पताल में हुई 31 मौतों में से 27 मौते (87%) गैस पीड़ितों की है |

- 100% मरीज जो अस्पताल में मृत लाए गए (Brought Dead) वह सभी गैस पीड़ित थे |

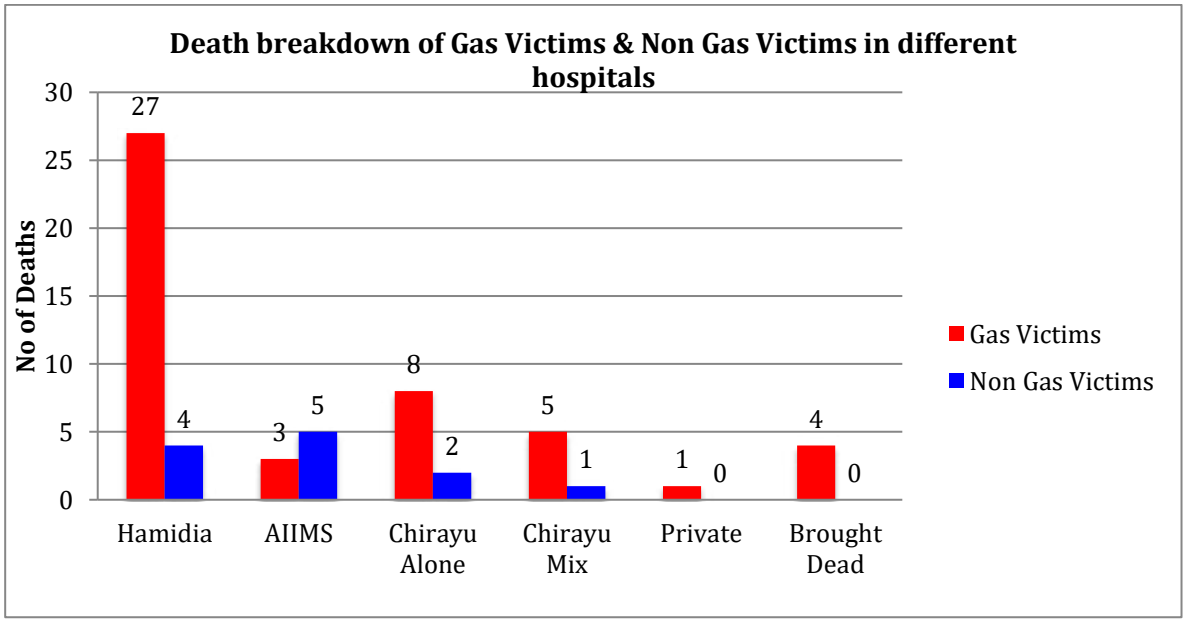

4. मृत्यु से पहले का अस्पताल भर्ती के आंकड़े (यह आंकड़ा 56 लोगो के अस्पताल स्टे पर आधारित है क्योंकि 4 लोग मृत लाए गए थे)

75% गैस पीड़ित अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन के अंदर खत्म हुए |

- अस्पतालों में भर्ती होने के 24 घंटे या उससे कम समय में हुई मृत्यु की संख्या 19 है | उसमे से 95% मृत्यु हमीदिया अस्पताल में हुई और 5% मौते AIIMS में हुई |

- भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर हुई मौतों में 84% गैस पीड़ितों की है और गैर गैस पीड़ितों की मौतों की तुलना में 8 गुना ज्यादा है

- भर्ती होने के 2-5 दिनों के अस्पताल स्टे के बाद हुई मौतों में 71.4% गैस पीड़ित है और गैर गैस पीड़ितों की मौतों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है |

- 6-22 दिनों के अस्पताल स्टे के बाद हुई मौतों में 75% गैस पीड़ित है और गैर गैस पीड़ितों की मौतों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है

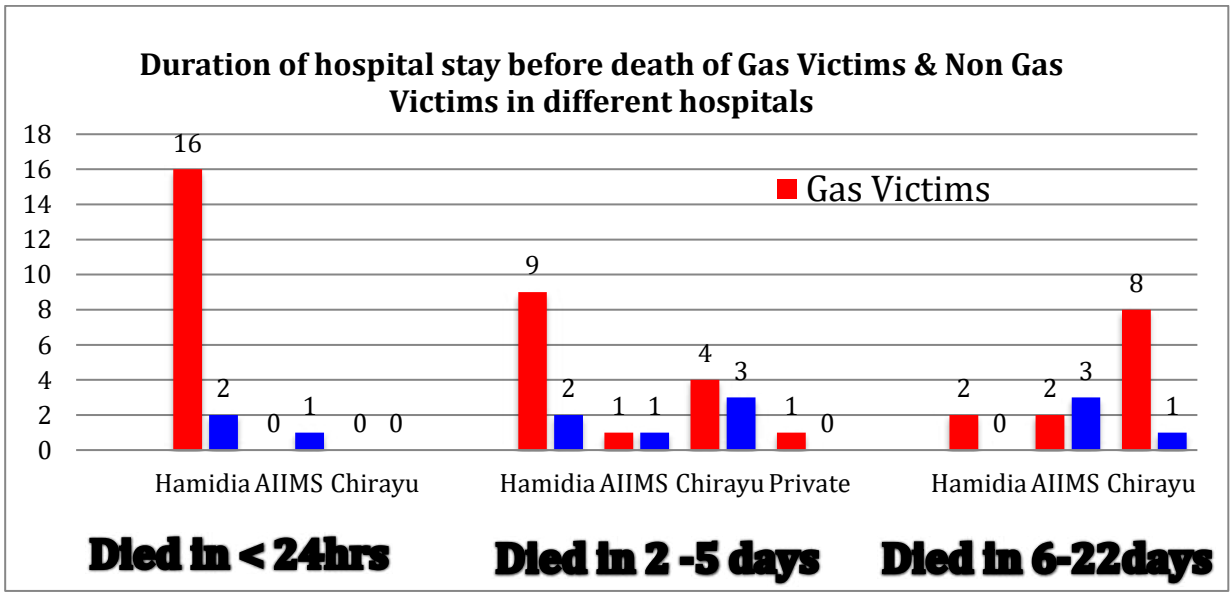

5 मृतकों की पुरानी बीमारी (Comorbidities)

- **कोविड -19 की वजह से मरनेवाले गैस पीड़ितों में से 81% गैस पीड़ित पुरानी बीमारी (गैस जनित) से ग्रस्त थे** |
- COVID-19 **की वजह से मरनेवाले** 62% गैस पीड़ित पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे और मात्र 13% गैर गैस पीड़ित पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे |
- COVID-19 की वजह से पुरानी बीमारियों से ग्रसित गैस पीड़ितों की मृत्युदर गैर गैस पीड़ितों की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा है |

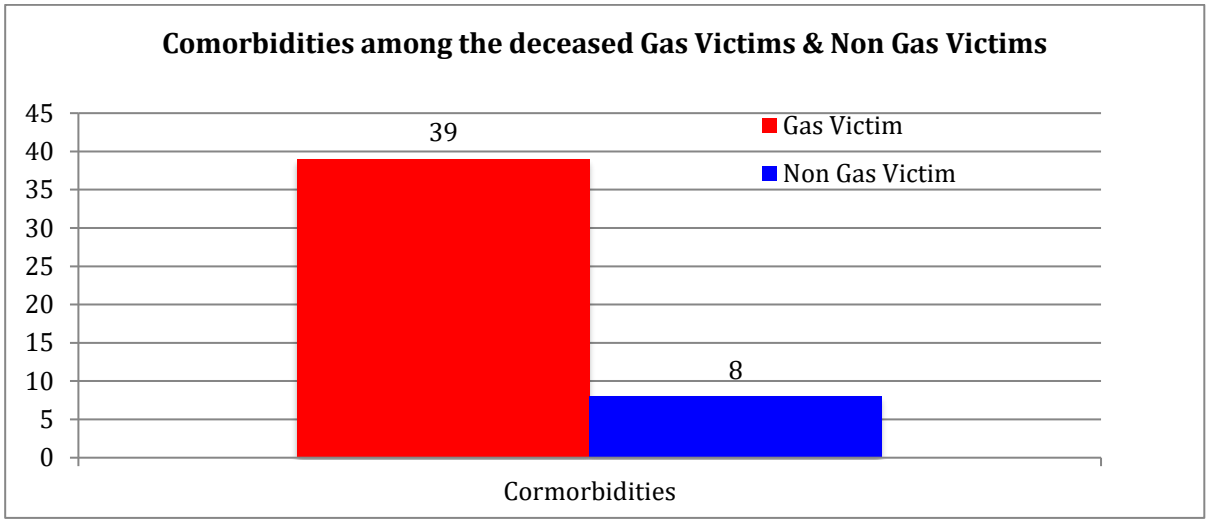

6. मृतकों की पुरानी बीमारी के प्रकार

गैर गैस-पीड़ितों की अपेक्षा भोपाल के गैस पीड़ित फेफड़े, किडनी हृदय और मस्तिष्क की पुरानी बीमारियों से दो से तीन गुना ज़्यादा ग्रस्त थे |

- किडनी, हृदय और फेफड़ों की किसी एक तरह की बीमारी से 42% गैस पीड़ित ग्रसित थे और 6.5% गैर गैस पीड़ित ग्रसित थे
- किडनी और हृदय, हृदय और दिमाग, फेफड़े और हृदय जैसी 2 तरह की बीमारियों से 20% गैस पीड़ित और 6.5% गैर गैस पीड़ित ग्रसित थे
- किडनी और हृदय, हृदय और दिमाग, फेफड़े, दिमाग और हृदय जैसी 23 तरह की बीमारियों से (3.3%) गैस पीड़ित ग्रसित थे

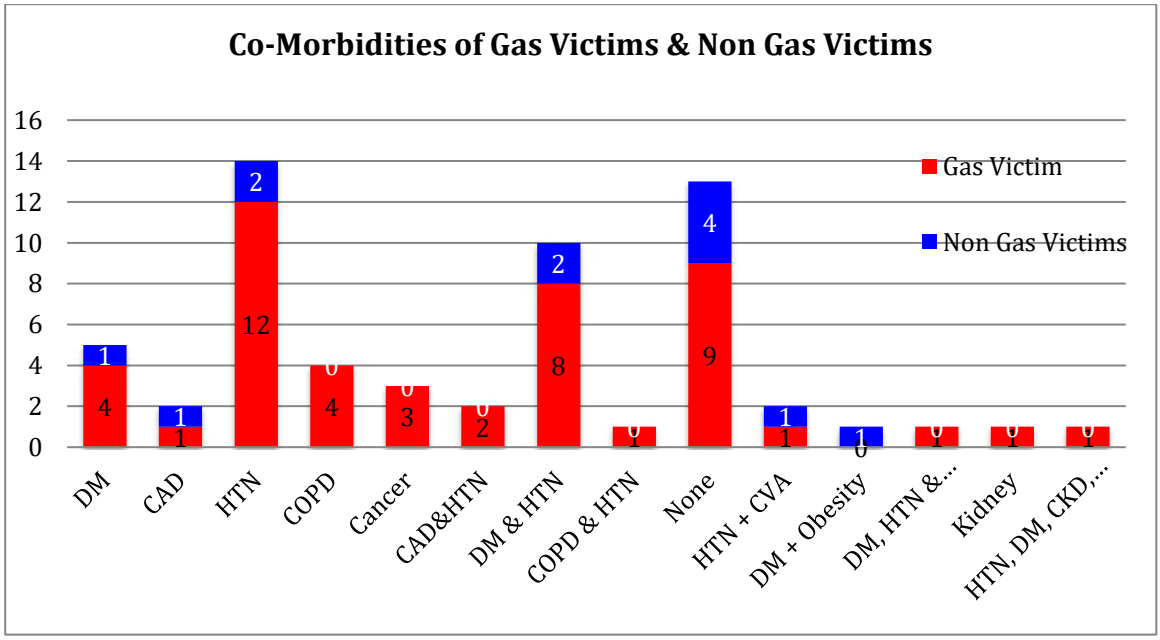

DM -मधुमेह , CAD- कोरोनरी आर्टरी डिजीज, HTN- हाइपरटेंशन
COPD - क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, CVA- सिरिबरो वैस्क्युलर अटैक, CKD- क्रोनिक किडनी डिजीज, Obesity- मोटापा

To,

1. **Dr. Harsh Vardhan**
   Union Minister
   Ministry of Health & Family Welfare
   Government of India
   hfm@gov.in

2. **Dr. Balram Bhargav**
   Director General
   Indian Council of Medical Research
   Ansari Nagar, New Delhi,
   ssecy-dg@**icmr.g**ov.in

3. **Mr. P. Raghevendra Rao**
   Secretary
   Department of Chemicals & Petrochemicals-Bhopal Cell
   Ministry of Chemical & Fertilizers
   Shastri Bhawan, New Delhi
   sec.cpc@nic.in

4. **Mr. Gopal Reddy**
   Chief Secretary
   Govt of Madhya Pradesh
   Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, MP
   cs@mp.nic.in

5. **Dr. Pallavi Jain Govil**
   Principal Secretary
   Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation
   Govt of Madhya Pradesh, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal
   pshealth@mp.gov.in

Cc: **Justice VK Aggarwal**
Chairman, Monitoring Committee for Medical Rehabilitation of Bhopal Gas Victims
mont_committee@rediffmail.com

21 March 2020

Sub: Immediate steps to be taken for identification, testing and medical care of COVID - 19 in the population affected by the Union Carbide disaster in Bhopal.

Dear Sirs & Madam,

On behalf of organisations working with the survivors of the 1984 Union Carbide Disaster, we would like to draw your attention to the fact that the little over half million people of Bhopal who continue to suffer consequences of the disaster are

much more vulnerable in contracting COVID-19 in comparison to the general population.

As you may be aware, several reports to the Parliament, large number of studies published in international scientific journals and records of government run hospitals in the last three and half decades have documented the long term health damage caused to hundreds of thousands of Bhopalis as a result of their acute exposure to Methyl isocyanate. At least a quarter of the 5,74,375 individuals officially acknowledged to have inhaled the poisonous gas are today battling chronic and disabling diseases.

The toxic exposure is known to have damaged the immune system of such a large population in Bhopal that the situation was described as chemically induced AIDS by a medical researcher. It will be pertinent to mention that taking cognizance of the magnitude and complexity of the health situation of the Bhopalis, the Supreme Court of India has accorded the Bhopal survivor's right to healthcare the status of the constitutional right to life.

Through this letter, **we are seeking your urgent intervention towards providing essential services of testing and critical care to the gas affected population in view of their heightened vulnerability to the COVID - 19 pandemic.**

A. **Data on vulnerability of the gas affected population of Bhopal to COVID-19.**

The most current data on COVID-19 indicates that people with any Cardio-vascular and Pulmonary problems, Diabetes, Cancers and most importantly compromised immune systems are 79% more at risk of being infected by the Corona virus, becoming critically ill and dying due to COVID-19. Further for a person with any of 2 of the above health problems the risk of the above outcomes is 2.5 times in comparison to the general population. (Source- https://www.worldometers.info)

Data from 8 community health units of the ICMR run Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC) in Bhopal from 1998 to 2016 presented on their official website (www.bmhrc.org on 21/01/2020) shows that 50.4% of gas affected patients suffer from Cardiovascular problems, 59.6% of them suffer from Pulmonary problems and 15.6% of them suffer from Diabetes. Further as per the records of the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, 10,550 (1.84% of the gas exposed population) have been granted ex gratia compensation as Cancer patients.

In view of the above and considering the fact that multi systemic damage is one of the characteristic features of the health impact of the gas disaster in Bhopal, it would be safe to say that the over half a million **Bhopalis exposed to Union Carbide's gases are at least 5 times more vulnerable to COVID-19 than a general population**. Accordingly, it is very much likely that unless

urgent steps are taken by the concerned government authorities, too many Bhopalis will suffer from COVID - 19 and die from it.

B. **<u>Conditions in the hospitals meant for gas victims are possibly contributing to the spread of Corona virus.</u>**

Visits to the BMHRC and to any of its 8 community units as well as 6 gas relief hospital run by the Department of Bhopal Gas Tragedy & Rehabilitation, Govt of Madhya Pradesh currently show that the concerned authorities have not at all woken up to the urgency of spreading awareness for prevention of COVID-19.

Date of Visit	**Name of Hospital**	**Signage**	**Content**	**Photo**
19 March	Jawaharlal Nehru Hospital	1, A4 size B&W poster	5 point brief	1
19 March	Shakir Ali Hospital	1, A4 size B&W poster 1, 4X4 poster	Homeopathy medicine to cure Coronavirus will be administered Asking patients to greet other with Namaste	Photo 2,3
19 March	Indira Gandhi Women & Child Hospital	1, A4 size B&W poster (pasted on lift) 1, 4X4 coloured poster	Patient should only bring one attendant with them Asking patients to greet other with Namaste-No specific mention	Photo 4
19 March	Kamla Nehru Hospital	1, A4 size illegible advisory of MOHFW	Asking patients to greet other with Namaste	Photo 5
19 March	Pulmonary Medicine Centre	1 A4 size B&W poster 1 4X4 coloured poster	Asking patients to cover their face with cloth while sneezing and coughing. Asking patients to greet other with Namaste	Photo6
19 March	BMHRC, Main Hospital Mini Unit No2- Station Bajariya	None 1 A3 size B&W poster	None Poster issued by “Jagran Josh” on Swine Flu	Photo 7
In all these hospitals there is a massive crowd and no plans have been put in place to segregate patients from each other or for hand washing				Photo 8-13

C. Additional facts in support of Special attention to Bhopal survivors

In addition to their increased vulnerability, as underlined above, the Bhopal survivors have a justified claim to special attention for protection from COVID - 19 due to the following two facts :

1. Living conditions : The technical report of the epidemiological study on Bhopal gas victims by the ICMR highlights the fact that a significant majority of the survivors population is economically disadvantaged. Most survivors live in crowded and unhygienic conditions with rooms as small as 100 sq ft and no facility of running water. Special attention needs to be paid to ensure that facilities for handwashing are available to them. Likewise special attention needs to be paid for identifying symptomatic spreaders in disadvantaged communities and arranging for their care in isolation.

2. Working conditions : According to ICMR data on Bhopal survivors over 60 % are dependent on hard manual labour for their livelihood. Many of them such as sanitation workers, vegetable and other cart vendors, drivers, police and security guards and casual labour will continue to work mainly because of economic compulsions. Such people need to be provided with the means, including PPE to keep themselves safe despite potential -contact with virus infected individuals.

In view of the above the following steps need to be taken urgently by the concerned authorities

I. **Awareness Spreading in Hospitals & in Gas Affected Communities**: Currently there is no relevant material available in the hospital on COVID 19 on stopping the spread of the disease. It is pertinent to have audio visual material available in all hospitals about COVID-19. Community health workers, socials workers need to be immediately deployed in the gas affected communities to educate & spread awareness on COVID 19.

ii. **Identification & Testing**: There is an urgent need to set up a Corona OPD in the 6 state run gas relief hospitals and in the 8 mini units of BMHRC to identify gas victims who will require testing for COVID 19. A system needs to be put in place to ensure that testing of these identified cases happen at the earliest. It has also come to our knowledge that AIIMS Bhopal has tested less than 50 samples & currently their testing equipment is non functioning. More testing centers/sampling centers need to be increased. In order to curb the spread it is pertinent to increase the number of testing centers. The Indian Council of Medical Research (ICMR) should develop BMHRC as a testing center for COVID-19.

iii. **Caring of critical cases**: A set up of one hospital with ICU, isolation wards, ventilators and supply of relevant medicines & consumables such as oxygen should be done immediately. For this purpose we suggest using the building of the

50 bed Pulmonary Medicine Centre (Rasool Ahmed Siddiqui Gas Relief Hospital) situated in Jahangirabad.

The undersigned organisations & other organisations are already working on spreading awareness in the gas affected communities on COVID-19. In this context NGO's working among the gas victims have published a pamphlet to raise awareness in the gas exposed population about the disease. A copy of the pamphlet is attached. The gas relief department could use this pamphlet or develop their own material to distribute in the gas affected areas. (Annexure 1-Pamphlet)

We look forward to hearing from you.

Rashida Bi,	**Nawab Khan,**	**Rachna Dhingra, Satinath Sarangi**	**Nousheen Khan**
Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh 9425688215	Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha 9165347881	Bhopal Group for Information and Action 9826167369	Children Against Dow Carbide 9713975671

Contact: 44, Sant Kanwar Ram Nagar, Berasia Road, Bhopal, MP 462038; Email: rachnya@gmail.com

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल - 462 004

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी,

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 एवं 3 दिसम्बर, 1984 की रात्रि में घटित गैस त्रासदी को विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक एवं पर्यावरणीय त्रासदी के रूप में जाना जाता है। इस घटना के तत्काल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने को बंद कर दिया गया तथा जांच सी.बी.आई. को सौंपी गई। भारत सरकार के द्वारा भोपाल गैस लीक डिजास्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स) एक्ट 1985 पारित कर, मुआवजे से संबंधित समस्त अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिये थे। भारत सरकार के स्तर पर "मंत्री समूह" का गठन श्री पी. चिदंबरम, गृह मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त "मंत्री समूह" को यह दायित्व सौंपा गया था कि गैस पीड़ितों के हित में विचाराधीन मुद्दों पर आवश्यक अनुशंसाएं की जावे।

2. "मंत्री समूह" की बैठकों में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भोपाल शहर के गैस पीड़ितों को उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा दिलाने हेतु, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था और यह मांग की गई थी कि गैस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को रूपये 10.00 लाख एवं गैस प्रभावित व्यक्तियों को रूपये 5.00 लाख का मुआवजा भारत सरकार द्वारा दिया जावे।

3. भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के तहत मुआवजा वितरण हेतु पृथक से न्यायिक अधिकरण (कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल) गठित किया गया, जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में संचालित है। उक्त अधिकरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (कल्याण आयुक्त), अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अपर कल्याण आयुक्त) एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) पदस्थ किए गए थे।

4. "मंत्री समूह" की बैठको में 5,74,376 गैस पीड़ितों के प्रकरणों में से कुल 48,694 प्रकरण में विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त अनुग्रह राशि, पूर्व में प्रदान की गई मुआवजा राशि को घटाकर, वृद्धि की जाकर भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्र दिनॉक 24.06.2010 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि 10,047 गैस पीड़ित ऐसे हैं जो वास्तव में मृतकों की श्रेणी में है, परन्तु " मंत्री समूह" एवं केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उक्त मृत व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रह राशि वितरण के मापदण्ड में शामिल नहीं किया गया।

6. मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मृत्यु श्रेणी में दावों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें मृत व्यक्ति को स्थाई एवं आंशिक निशक्तता की श्रेणी में माना गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य मामलों में मृत्यु का कारण गैस प्रभाव न मानते हुए उन्हें सामान्य वर्ग में माना गया है, यह वर्गीकरण न्यायसंगत प्रतीत

नहीं होता है। अतः 10,047 प्रकरणों को मृतक श्रेणी में मानकर ही इनको भी 10.00 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये ताकि गैस त्रासदी में मृत श्रेणी के कुल 15,342 प्रकरणो में आश्रितों को न्यायसंगत निर्णय मिल सके। इसके अतिरिक्त 5,21,332 व्यक्ति जो कि वास्तव में आंशिक गैस पीड़ितों की श्रेणी में थे, को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने की कोई अनुशंसा नहीं की गई, इन प्रकरणो पर भी उचित विचार करते हुए मुआवजा दिलाया जावे ताकि गैस पीड़ितों को न्याय प्राप्त हो सके।

7. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी में भोपाल शहर के पीड़ित नागरिकों को मांग है कि उन्हें उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा भारत सरकार से दिलाया जाये।

8. गैस त्रासदी की 27वीं बरसी के अवसर पर उपरोक्त बिन्दूओं पर पुनः विचार कर सकारात्मक निर्णय लिये जाने का आप से अनुरोध करता हूं ताकि भोपाल के गैस पीड़ितों को पूर्ण न्याय मिल सके।

9. मेरा इस संबंध में आप से विनम्र अनुरोध है कि मैं इस संबंध में आप से भेंट करना चाहता हूं। इस भेंट में मेरे साथ गैस पीड़ितों के स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

10. अनुरोध है शीघ्र इस हेतु तिथि सुनिश्चित करने की अनुकम्पा करें।

सादर,

भवदीय,

(शिवराज सिंह चौहान)

डॉ0 मनमोहन सिंह,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
7, रेसकोर्स रोड,
नई दिल्ली – 110 001